कृषि योग्य बंजर भूमि

२५२. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को प्रत्येक राज्य में कृषि योग्य बंजर भूमि का कितना क्षेत्र था और उस भूमि में से अब तक कितनी भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई समिति स्थापित की है ; और यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

†[CULTIVABLE WASTE LAND

252. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the area of cultivable waste land in each State as on the 31st March, 1961 and how much of that land has so far been reclaimed; and

(b) whether Government have set up any committee in this regard, and if so, what are its main recommendations and what action Government have taken thereon?]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह): (क) प्रत्येक राज्य में ३१ मार्च, १९६१ तक कृषि योग्य परती भूमि की मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कृषि योग्य परती भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध राज्यवार अन्तिम आंकड़े, जो कि सामान्यतया १९५८-५९ के बारे में हैं, नत्थी किये गये विवरण में दिये गये हैं ।

पहली योजना की अवधि में कुल २७ लाख एकड़ भूमि का सुधार किया गया जबकि दूसरी योजना की अवधि में १२ लाख एकड़ भूमि का सुधार किया गया । पहली योजना की अवधि मे सुधारे गये २७ लाख एकड़ क्षेत्र का ब्यौरा नत्थी किये गये विवरण में दिया गया है परन्तु दूसरी योजना की अवधि में सुधारे गये १२ लाख एकड़ क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसा ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने जून, १९५९ में कृषि योग्य परती भूमि के २५० एकड़ या इससे बड़े भूमि खंडों के उपयोग के विषय में स्थिति निश्चित करने और सिफारिशें करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी ।

समिति ने अभी तक ११ राज्यों, अर्थात् पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मैसूर, मद्रास, जम्मू और काश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इनमें से, प्रत्येक राज्य में सुधार के लिये सिफारिश किये गये क्षेत्र और उन पर खर्च होने वाले रुपये आदि के बारे में एक विवरण नत्थी है । [देखिये परिशिष्ट ४०, अनुपत्र संख्या २८] ।

समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई है ।

विवरण

कृषि योग्य परती भूमि के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े

राज्य	कृषि योग्य परती भूमि
	(हजार एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	४,५२७
आसाम‡	२७५¶
बिहार	२,२४१
जम्मू और काश्मीर	३७४
केरल	४६८
मध्य प्रदेश	९,०२२
मद्रास	२,०००
महाराष्ट्र (गुजरात समेत)	३,४८०
मैसूर	१,६३८
उड़ीसा§	३,५०४
पंजाब	१,५६३
राजस्थान	१७,४५५
उत्तर प्रदेश	४,१८५
पश्चिम बंगाल	नहीं के बराबर
दिल्ली	३६
हिमाचल प्रदेश	११¶
मनिपुर	नहीं के बराबर
त्रिपुरा	२१
अंडमान और निकोबार द्वीप	२
लाकादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप	नहीं के बराबर
कुल भारत	५०,९०७

‡१९५३–५४ से सम्बन्धित।

§१९५४–५५ से सम्बन्धित।

¶ नेफा के बारे में अलग आंकड़े प्राप्त न होने के कारण इसमें शामिल नहीं किये गए हैं।

विवरण

पहली योजना की अवधि में सुधारी गई परती भूमि का ब्यौरा

राज्य	क्षेत्र* (हजार एकड़ों में)
आन्ध्र	५९.३
आसाम	५.६
बिहार	११६.१
बम्बई	१९६.१
मध्य प्रदेश	६८१.१
मद्रास	१८८.५
उड़ीसा	४.३
पंजाब	२५.०
उत्तर प्रदेश	३५५.४
पश्चिम बंगाल	२७.७
हैदराबाद	९८.३
मध्य भारत	४९८.२
मैसूर	१४.०
पेप्सू	१०९.६
राजस्थान	२४.७
भोपाल	२४१.५
कुर्ग	२.७
दिल्ली	०.५
विन्ध्य प्रदेश	३१.७
जोड़	२६८०.३

* अनन्तिम

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI RAM SUBHAG SINGH): (a) Statistics regarding the extent of cultivable waste land in each State as on the 31st March, 1961, are not available. The latest available State-wise statistics regarding cultivable waste land, which relate generally to the year 1958-59, are as given in the statement enclosed.

A total area of 2·7 million acres was reclaimed during the first Plan period, while 1·2 million acres were reclaimed during the Second Plan period. State-wise break-up of the area of 2·7 million acres reclaimed during the first Plan period is given in the enclosed statement, while such information in respect of the area of 1·2 million acres reclaimed during the Second Plan period is not yet available.

(b) The Government of India appointed an Expert Committee in June, 1959, for the purpose of locating and making recommendations regarding the utilisation of the cultivable waste lands in blocks of 250 acres and above. The Committee has so far submitted its report on 11 States *viz.*, Punjab, West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala, Mysore, Madras, Jammu and Kashmir, Bihar, Uttar Pradesh and Maharashtra. A statement showing the areas recommended for reclamation cost involved etc., etc., in respect of each of these States is enclosed (*See* Appendix XL, Annexure No. 28.)

The Reports have been sent to the State Governments concerned for implementation of the Committee's recommendations.

STATEMENT

State-wise statistics re. Cultivable Waste Lands

State	Culturable Waste land
	(Thousand acres)
Andhra Pradesh	4,527
Assam‡	375¶
Bihar	2,241
Jammu and Kashmir	374
Kerala	468
Madhya Pradesh	9,022
Madras	2,000
Maharashtra (Including Gujarat)	3,480
Mysore	1,638
Orissa§	3,504
Punjab	1,563
Rajasthan	17,455
Uttar Pradesh	4,185
West Bengal	Negligible
Delhi	36
Himachal Pradesh	116
Manipur	Negligible
Tripura	21
Andaman and Nicobar Islands	*
Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	Negligible
TOTAL INDIA	50,907

‡Relates to 1953-54.

§Relates to 1954-55.

¶Excludes figures in respect of N.E.F.A. which are not separately available.

†[ ] English translation

STATEMENT

Clearance and Reclamation of Wastelands during First Plan

States	Area* ('000 acres)
Andhra	59·3
Assam	5·6
Bihar	116·1
Bombay	196·1
Madhya Pradesh	681·1
Madras	188·5
Orissa	4·3
Punjab	25·0
U.P.	355·4
West Bengal	27·7
Hyderabad	98·3
Madhya Bharat	498·2
Mysore	14·0
Pepsu	109·6
Rajasthan	24·7
Bhopal	241·5
Coorg	2·7
Delhi	0·5
Vindhya Pradesh	31·7
TOTAL	2680·3

*Provisional.]

STAFF CARS OF THE DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTIONS AT NAGPUR

253. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the number of staff cars in the Directorate of Marketing and Inspection located at Nagpur; and

(b) whether they are all garaged in the office premises?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI RAM SUBHAG SINGH): (a) One.

(b) No, as there is no garage provided in the office premises (allotted by the Estate Office) for the staff car. An open shed is, however, available where the staff car is parked during the day. At night and on holidays, it is parked in the garage at No. 5 bungalow at Seminary Hills. It may be stated that this garage was specifically allotted to the Directorate by the Estate Office for garaging the staff car.

मोम के घोल से फलों तथा तरकारियों का परिरक्षण

२५४. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्था ने गन्ने के रस के मैल से एक मोम तैयार किया है और क्या इस मोम के घोल से फल तथा तरकारियों को बिना सड़े देर तक परिरक्षित रखा जा सकता है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो कितने ऐसे मोम के प्रति वर्ष उपलब्ध होने की सम्भावना है और इस मोम के घोल के उपयोग से फल तथा तरकारियां और कितने अधिक समय के लिये परिरक्षित रखी जा सकती हैं; और

(ग) यह घोल कहां से तथा किस भाव पर मिल सकता है और इस को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे है ?

[PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES WITH WAX EMULSION

254. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Food Technological Research Institute of Mysore has prepared a wax from press mud

†[ ] English translation.